फर्द अहकाम

फूलचन्द बनाम तहसीलदार

नाम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली

केस संख्या 32/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी तो सक्षम न्यायालय से न्यायालय शुल्क के आदेश पारित किये है। जबकि स्वयं तहसीलदार महोदय को गैर मुमकिन रास्ते की राशि को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.18 को निरस्त कर उक्त आराजी को हाल राजस्व रिकार्ड में सक्षम न्यायालय के वाद एवं रेफरेन्स आख्या प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में श्यामचन्द गैर मुमकिन रास्ता दर्ज के पाने के आदेश प्रदान करे। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का मु.अ.नि. नीझड़ का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम चतुर्भुज के आ.क्र.न. 433 रकबा 0.11 है. विरुद्ध पिता कन्वारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी नागेश्वर पंडितपुरा के नाम दर्ज है। किन्तु आ.क्र.न. 433 में मौके पर रास्ता बना हुआ जो गैर मुमकिन रास्ता है तथा मौके पर रास्ता चक्रीत अपीलार्थी द्वारा अपनी वहक से अ... कराया कि ग्राम चतुर्भुज के आ.क्र.न. 433 सार्वजनिक किस्म का रास्ता 21 फीट बना है जो की गलती से गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी के ... अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 25.7.18 को निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि हाल रकबा न. 433 सार्वजनिक रास्ता गैर मुमकिन रास्ते से बना है। मिलान व मौका पर व मुर्जा जांच कर उक्त राशि गैर मुमकिन होना पाई जाती है तो और आवश्यक है सक्षम न्यायालय के रेफरेन्स देकर कोटपूतली को उक्त आदेशों की जाती कि पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ल ...